


01/02
17

वकील प्रार्थीगत उपर।
जनी मोहम्मद के वारिस में स्वामील उर्फ कबू जी तर्फ से
वकील श्री इन्दुचन्द्र घोषिया ने वकालतनामा पेश किया जो
शामिल पत्रावली रहे।

आधिवक्ता प्रार्थीगत नया प्रार्थना पत्र पेश करने की अनुमति
के साथ इस प्रार्थना पत्र के विद्वूल करने हैं। विद्वूल पर तर्क
उत्पन्न हुए हुए तथा इपल्लच नेकड का अक्लोकन दिया गया।
प्रार्थीगत अपने प्रार्थना पत्र के विद्वूल करते हैं और हस्त
स्वामिल प्रार्थीगत हस्तगत प्रार्थना पत्र जारे विद्वूल खारिज दिया
जाता है। नया प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए प्रार्थीगत स्वतन्त्र रहेगी।
निर्णय सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होबर सादरले स्फर हो।


उपखण्ड (मुबारक) आधिवक्ता
लाडन (नागौर) ५
उपखण्ड काठि करी
लाडन